न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 17/2022

1. सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुमावत निवासी सर्किट हाउस के पीछे, श्याम वाटिका, सीकर तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. महावीर पुत्र हणमान जाति नाई निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार, सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत गुंगारा दिनांक 22.8.2022 बाबत खारीज किये जाने नामान्तरकरण प्रविष्टि का क्रम संख्या 2574 दिनांक 11.7.2022 ग्राम गुगांरा बाबत ख0 नं. 1891, 1882 व 1893 तहसी व जिला सीकर

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट– श्री मोहनलाल चौधरी
वकील रेस्पोडेण्ट – श्री विरेन्द्र औलखा

निर्णय

दिनांक : 17.11.2022

अपील अपीलाण्ट ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 2574 ग्राम पंचायत गुगांरा के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 1882, 1891 व 1893 वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर में से रेस्पो0 संख्या 1 महावीर का 41/42 हकर व हिस्सा था। जिसमें से 1.46 है0 भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 29.6.2022 को आवश्यक प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक करवाया गया व कब्जा सौप दिया गया। नामा0 की ऑनलाई कार्यवाही हुई । पटवारी ने नामा0 भरकर आई.एल.आर को पेश किया । जांच के बाद प्रविष्टि सही पाये जाने की रिपोर्ट दिनांक 18.7.2022 को करते हुऐ नामा0 ग्राम पंचायत गुंगारा में पेश किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा मिटिंग में ये नाट नगाया गया कि भाईयों में विवाद है आगामी बैठक में पेश करें। दिनांक [illegible].2022 को बैठक में प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा सवर्त सहमति से निर्णय लिया गया कि मुकदमा नम्बर 129/21 से सीमा पर मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के

Scanned with Oken Scanner

कारण नामा0 खारिज किया जाता है। उक्त आदेश ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुऐ विधि विरूद्व किया गया है। बिना किसी सुनवाई के नामा0 संबंधि नियमो का पालना किये बिना ही नामा0 खारिज कर दिया गया । न्यायालय द्वारा विक्रय अन्तरण पर कोई स्थगन नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 2574 दिनांक 11.7.2022 एवं 22.8.2022 निरस्त कर विक्रयपत्र के आधार पर नामा0 स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से एड. विरेन्द्र औलखा ने वकालतनामा पेश किया । इनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं राजीनामा पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। शेष रेस्पो0 बावजूद रजिस्टर्ड तामिल के उपस्थित नहीं रहे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित भूमि को क्रय किया है। न्यायालय हाजा का जो स्थगन आदेश है वह मौके की यथारिथति का है जिसमें सीमा का विवाद है। राजस्व रिकार्ड का कोई स्थगन आदेश नहीं है। ग्राम पंचायत गुंगारा द्वारा बिना विधिवत सुनवाई के एवं स्थगन की गलत व्याख्या करते हुऐ विक्रय का नामा0 निरस्त किया गया है। जो कानुनन विधि विरूद्व है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत रिकार्ड एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 2574 दिनांक 11.7.2022 ग्राम पंचायत गुंगारा तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नामा0 की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 7.11.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner